झारखण्ड सरकार

**झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।**

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (विविध)—04/2023 - 334

प्रेषक,

**संजय कुमार**
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

**सभी उपायुक्त**
झारखण्ड।

राँची, दिनांक:— 02.04.2024

विषय:— **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 से संबंधित योजनाओं पर विशेष सतर्कता बरतने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के तहत् कई योजनाएँ, यथा—जन वितरण प्रणाली, पी0एम0 पोषण, समेकित बाल विकास योजना, प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना संचालित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए भोजन का अधिकार सुनिश्चित करना है।

उल्लेखनीय है कि आम चुनाव—2024 की घोषण हो चुकी है। आम चुनाव की तैयारी के कारण जिला प्रशासन की व्यस्तता काफी बढ़ जाती है। जिला स्तर के लगभग सभी पदाधिकारी को चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य आवंटित किए जाने के कारण पदाधिकारियों का काफी समय चुनाव से संबंधित कार्य में व्यतीत होता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 से संबंधित योजनाएँ भोजन के अधिकार से संबंधित हैं और इनमें लाभुकों की संख्या भी करोड़ों में है। इन योजनाओं के पर्यवेक्षण में शिथिलता से स्वार्थी तत्वों द्वारा अनियमितता बरतने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जीवन के अतिमहत्वपूर्ण अंश भोजन से संबंधित होने के कारण इन योजनाओं में अनियमितता से समाज के निचले पायदान पर स्थित लोगों के समक्ष भोजन की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि इन योजनाओं के पर्यवेक्षण में कोताही नहीं की जाय।

अतः निदेशित किया जाता है कि इस अवधि में इन योजनाओं के पर्यवेक्षण में विशेष सतर्कता बरतते हुए इनसे संबंधित शिकायतों का निपटारा शीघ्र अति शीघ्र करवाया जाय।

विश्वासभाजन

2/4/24

**(संजय कुमार)**
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx733